आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-05-2023 08/06/23	**वाद सं0–27 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सुम्बर ओड़ेया, प्र0–अड़की, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी का कहना है कि संबंधित पंचायत के लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें यह जानकारी दी है कि उन्हें अक्टूबर से दिसम्बर माह तक का अनाज नहीं दिया जा सका है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देश दिया है कि शिकायकर्ता श्री सुम्बर ओड़ेया को माह सितम्बर से दिसम्बर के बीच का PMGKAY का अनाज यदि उपलब्ध करा दिया गया है तो उसका प्रमाण आयोग को भेजा जाय। और यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो उपलब्ध करा दिया जाय। ~~आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 को निर्धारित की जाती है।~~ GP मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx34